




कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०. एल०ए०/एस०एस०-1/शा०स्था०नि०/14401/1534

दिनांक:- 17.02.2014.

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना



महामन्त्र,

नगर पंचायत, घोघरडीहा के वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 286/13-14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरिय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र-I
बिहार, पटना

1299(B)
24/2/14

4
10/10
19
25/2/14

नगर पंचायत, घोघरडीहा

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.- 286 / 13-14

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, घोघरडीहा के वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार (लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 17.06.13 से दिनांक 22.06.13 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र०सं०	नाम	अवधि
	अध्यक्ष	
1	श्री शंकर झा	01.04.11 से 8.6.12
2	श्री पवन कुमार झा	9.06.12 से 31.03.13
	उपाध्यक्ष	
1	श्रीमती प्रमिला देवी	01.04.11 से 8.6.12
2	श्री प्रमोद कुमार यादव	9.06.12 से 31.03.13
	कार्यपालक पदाधिकारी	
1	श्री संजय कुमार	01.04.11 से 26.9.12
2	श्री विजय कुमार	27.09.12 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये तथा नमूना जाँच किए गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट- I में तथा वैसे अभिलेख एवं पंजी जो या तो नगर पंचायत द्वारा संधारित नहीं किये गये थे या लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये की सूची लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट- II में दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निष्पादन नहीं कराया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों का अनुपालन नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। अतएव कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजा जाए।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली - 1928 (नियम 20,64 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिसे प्राधिकृत किया गया हो, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई थी।

किन्तु उक्त जॉच नगर पंचायत अधिकारी द्वारा नहीं की गई। अतः सक्षम पदाधिकारी से अनुरोध है कि नियम के उपबंधों के अनुरूप जॉच की व्यवस्था की जाय।

6. अंकेक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

क्रम सं०	कंडिका सं०	विवरण	राशि लाख में
1	8	तेरहवीं मद से विचलन	15.57
2	9	सोलर लाईट	2.06
3	10	दोहरा भुगतान	0.33
4	11	अनियमित व्यय	0.12
5	12	बकाया दुकान किराया	2.48
6	13	श्रम सेस की राशि जमा नहीं	0.61
7	14	दैनिक मजदूरी पर भुगतान	9.81
8	21	बन्दोबस्ती का मुद्रांक शुल्क की राशि जमा नहीं	0.02

7. संव्यवहार

नगर पंचायत द्वारा संधारित विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों के आय- व्यय की स्थिति इस प्रकार है -

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :

क्र० सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	595650	1497376
	i) अनुदान	1009545	598618
	ii) ब्याज	38171	101918
	iii) वापसी	-	387823
2.	वर्ष की प्राप्ति	1047716	1088359
3.	कुल प्राप्ति	1643366	2585735
4.	व्यय - योजना	145990	-

	व्यय – अन्य	–	–
5.	कुल व्यय	145990	–
6.	अन्तशेष	1497376	2585735

प्रशासनिक भवन निर्माण :

क्र० सं०	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	3234269	3357973
	i) अनुदान	–	–
	ii) ब्याज	123704	67343
	iii) अन्य	–	–
2.	वर्ष की प्राप्ति	123704	67343
3.	कुल प्राप्ति	3357973	3425316
4.	व्यय – योजना	–	–
	व्यय – अन्य	–	–
5.	कुल व्यय	–	–
6.	अन्तशेष	3357973	3425316

चापाकल गाड़ने हेतु :

क्र०सं०	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरंभिक शेष	708069	537201
	i) अनुदान	–	–
	ii) ब्याज	29132	10321
	iii) अन्य	–	–
2.	वर्ष की प्राप्ति	29132	10321
3.	कुल प्राप्ति	737201	547522
4.	व्यय – योजना	200000	338537

	व्यय – अन्य	–	–
5.	कुल व्यय	200000	338537
6.	अन्तशेष	537201	208985

ग्यारहवीं वित्त :

क्र०सं०	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरम्भिक शेष	225127	183563
	i) अनुदान	–	–
	ii) ब्याज	12269	3701
	iii) अन्य	–	–
2.	वर्ष की प्राप्ति	237396	3701
3.	कुल प्राप्ति	–	187264
4.	व्यय – योजना	53805	–
	व्यय – अन्य	28	–
5.	कुल व्यय	53833	–
6.	अन्तशेष	183563	187264

बारहवीं वित्त :

क्र०सं०	विवरण	2011–12	2012–13
1.	आरम्भिक शेष	983429.80	225365
	i) अनुदान	–	–
	ii) ब्याज	5182	5061
	iii) वापसी	150000	–
2.	वर्ष की प्राप्ति	155182	5061
3.	कुल प्राप्ति	1138611.80	230426

4.	व्यय – योजना	913247	10724
	व्यय – अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	913247	10724
6.	अन्तशेष	225364.80	219702

अंकेक्षण टिप्पणी :

1. रोकड़बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि बारहवीं वित्त की राशि वर्ष 2010-11 में, रू0 150000 का कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देशानुसार बी.आर.जी.एफ. मद में विचलन किया गया था। पुनः दिनांक 27.10.11 को उक्त राशि को बारहवीं वित्त के रोकड़बही में वापस दिखायी गई थी। जिसका इंदराज बैंक पासबुक में नहीं पाया गया।

2. पासबुक एवं रोकड़बही के मिलान के क्रम में देखा गया कि दिनांक 19.3.12 को चेक सं0 22167324669 द्वारा रू0 77996 की राशि का स्थानांतरण किया गया था। जिसका इंदराज रोकड़बही में नहीं किया गया था, उक्त राशि का स्थानांतरण एवं रोकड़बही में इंदराज नहीं होने के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

तेरहवीं वित्त :

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	600000	281235
	i) अनुदान	1301678	1874000
	ii) ब्याज	—	—
	iii) अन्य	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	1301678	1874000
3.	कुल प्राप्ति	1901678	2155235
4.	व्यय – योजना	1620167	779953
	व्यय – अन्य	276	—
5.	कुल व्यय	1620443	779953
6.	अन्तशेष	281235	1375282

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	210728	144834
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	5237	2833
	iii) अन्य	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	5237	2833
3.	कुल प्राप्ति	215965	147667
4.	व्यय — योजना	71131	—
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	71131	—
6.	अन्तशेष	144834	147667

विधायक/ सांसद ऐच्छिक कोष :

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	14160	14731
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	571	302
	iii) वापसी	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	571	302
3.	कुल प्राप्ति	14731	15033
4.	व्यय — योजना	—	—
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	—	—
6.	अन्तशेष	14731	15033

योजना एवं गैर योजना मद :

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	32148	32795
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	647	1385
	iii) वापसी	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	647	1385
3.	कुल प्राप्ति	32795	34180
4.	व्यय — योजना	—	—
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	—	—
6.	अन्तशेष	32795	34180

राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना :

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	629295	415600
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	20105	7982
	iii) अन्य	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	20105	7982
3.	कुल प्राप्ति	649400	423582
4.	व्यय — योजना	233800	110149
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	233800	110149
6.	अन्तशेष	415600	313433

व्यवसायिक दुकान निर्माण :

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	23784.90	24744
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	959	507
	iii) अन्य	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	959	507
3.	कुल प्राप्ति	24743.90	25251
4.	व्यय — योजना	—	—
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	—	—
6.	अन्तशेष	24743.90	25251

पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार :

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	2000000	586220
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	—	—
	iii) अन्य	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	—	—
3.	कुल प्राप्ति	2000000	586220
4.	व्यय — योजना	1413780	—
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	1413780	—
6.	अन्तशेष	586220	586220

नालों का निर्माण/जीर्णोद्धार मद:

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	1400000	176656
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	—	—
	iii) अन्य	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	—	—
3.	कुल प्राप्ति	1400000	176656
4.	व्यय — योजना	1223344	—
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	1223344	—
6.	अन्तशेष	176656	176656

पी०एल०खाता के लिए पृथक रोकड़बही:

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	4312638	129175
	i) अनुदान	873815	—
	ii) ब्याज	42628	5835
	iii) अन्य	276173	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	1192616	5835
3.	कुल प्राप्ति	5505254	135010
4.	व्यय — योजना	1592867	—
	व्यय — स्थानांतरण	3783212	—
5.	कुल व्यय	5376079	—
6.	अन्तशेष	129175	135010

कबीर अंत्येष्टि

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	10536	144082
	i) अनुदान	247000	706500
	ii) ब्याज	1171	1893
	iii) अन्य	—	—
2.	वर्ष की प्राप्ति	248171	708393
3.	कुल प्राप्ति	258707	852475
4.	व्यय — योजना	114500	242000
	व्यय — अन्य	125	—
5.	कुल व्यय	114625	242000
6.	अन्तशेष	144082	610475

निर्वाचन

क्र०सं०	विवरण	2011-12	2012-13
1.	आरंभिक शेष	1657.60	2916.60
	i) अनुदान	—	—
	ii) ब्याज	67	35
	iii) अन्य	1192	12174
2.	वर्ष की प्राप्ति	1259	12209
3.	कुल प्राप्ति	2916.60	15125.60
4.	व्यय — योजना	—	—
	व्यय — अन्य	—	—
5.	कुल व्यय	—	—
6.	अन्तशेष	2916.60	15125.60

समिति कोष

क्र०सं.	विवरण	2011-12	2012-13
1	प्रारम्भिक शेष	560558.80	351865.80
2	प्राप्ति		
I.	वेतन एवं भत्ता	99412	—
II.	पार्षद भत्ता	61800	—
III.	स्वयं स्रोत से आय	441547	399292
IV.	अन्य	751815	5994590
V.	स्थानांतरण	—	161517
VI.	जनगणना	—	167300
VII.	सूद की राशि	—	1578
3	वर्ष की प्राप्ति	1354574	6724277
4	कुल प्राप्ति	1915132.80	7076142.8
5	व्यय		
I.	स्थापना	1371617	2316483
II.	पार्षद भत्ता	22800	60060
III.	जनगणना	168850	—
IV.	अन्य	—	109525
V.	स्थानांतरण	—	1152940
6	कुल व्यय	1563267	3639008
7	अंतशेष(5-7)	351865.80	3437134.8

विभिन्न बैंक खातों के अनुसार 31.03.12 का अंतशेष निम्न है:-

क्र०सं०	बैंक का नाम	खाता सं०	विवरण	शेष
1	इलाहाबाद बैंक	22167472095	चापाकल	229864
2	सेंटल बैंक	2220038064	प्रशासनिक भवन	3425316
3	एस.बी.आई.	30390532730	बी.आर.जी.एफ.	2585735
4	इलाहाबाद बैंक	22167351321	स्वर्ण जयंती	151312.60

5	इलाहाबाद बैंक	22167450071	बारहवीं वित्त	257481
6	इलाहाबाद बैंक	22167365367	विधायक / सांसद मद	15581.40
7	इलाहाबाद बैंक	22167365378	योजना एवं गैर योजना	35566.80
8	इलाहाबाद बैंक	22167365334	राष्ट्रीय गंदी बस्ती	342870.20
9	एस.बी.आई.	11462684834	पी.एल. रोकड़बही	135008
10	इलाहाबाद बैंक	22167365356	ग्यारहवीं वित्त	190979
11	इलाहाबाद बैंक	22167365345	व्यवसायिक दुकान	26170.90
12	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4021	कबीर अंत्येष्टि	614459
13	इलाहाबाद बैंक	22167353497	समिति कोष	304287.26

बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

भाग-1

8. तेरहवीं मद के मार्गदर्शिका के विरुद्ध 15.57 लाख का व्यय

तेरहवीं वित्त से प्राप्त अनुदान का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाना था:-

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत आवंटन ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए
2. पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति व्यवस्था
3. प्रकाश व्यवस्था और पेय जल के बिजली बिल के भुगतान
4. रैन बसेरा और वृद्धाश्रम के निर्माण

रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अनुदान की राशि का व्यय निम्नलिखित मदों पर किया गया था जो तेरहवीं वित्त आयोग के मार्गदर्शिका के विरुद्ध था।

क्रम संख्या	मद	2011-12	2012-13	कुल
1	दैनिक मजदूर	234728	707863	942591
2	संविदाकर्मी पर व्यय	48000	42000	90000
3	सेक्सन मशीन की खरीददारी	494255	0	494255
4	ट्रैक्टर मरम्मत	0	30090	30090
	कुल-	1620167	779953	1556936

आपत्ति के आलोक में कहा गया कि विचलन की राशि को समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा। विचलन की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाय तथा इसे अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

9. सोलर लाईट के अधिष्ठापन पर अनियमित व्यय

नगर पंचायत, घोघरडीहा द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान 20 सोलर लाईट के अधिष्ठापन पर ₹8.

81 लाख का व्यय किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	वर्ष	सोलर लाईट की सं०	चेक सं०	राशि	सप्लायर	अभियुक्ति
1	2011-12	6	684831/21-4-11	276000	CIP Technology Lalbag, Darbhanga	Vat deduction Rs-10080
2		14	515891/26-9-11	317184	Sri Ganesh Traders, Manigachhi, Darbhanga	Vat deduction Rs-28874
3			515892/29-9-11	250000		
4			033116/24-3-12	38302		
5			Total	881486		

लेखापरीक्षा टिप्पणी

नगर पंचायत बोर्ड द्वारा दिनांक 17.08.10 को 6 सोलर लाईट लगाने का निर्णय लिया गया था जिसके आलोक में दिनांक 20.12.10 को दैनिक जागरण सामाचार पत्र में निविदा प्रकाशित किया गया। निविदा में सोलर लाईट की विशिष्टियाँ तथा शर्तें नहीं दी गयी थी। निविदा के आलोक में कुल 6 कोटेशन प्राप्त हुए जिन पर दिनांक अंकित नहीं थे। तुलनात्मक विवरणी के जाँच में पाया गया कि MK ELECTRONICS & ENGINEERING DARBHANGA का दर ₹42000.00 प्रति सेट था। जबकि आपूर्ति आदेश CIP L TECHNOLOGY LALBAG DARBHANGA को दिया गया था जिसका दर ₹47680.00 प्रति सेट था। चूँकि निविदा में विशिष्टियाँ एवं शर्तों का उल्लेख नहीं था, अतः न्यूनतम दर वाले आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जाना चाहिए था। परन्तु नगर पंचायत द्वारा ₹5680.00(47680-42000) प्रतिसेट की दर से ₹34080.00(5680x6) अधिक व्यय किया गया था।

(2) पुनः दिनांक 11.07.11 को 14 सोलर लाईट लगाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें सोलर लाईट की विशिष्टियाँ तथा शर्तें नहीं दी गयी थी। तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि न्यूनतम दर ₹32992.00 प्रति सेट S.P TRADING & CONSULTANT SAKHSHI, JHARKHAND का था जबकि आपूर्ति आदेश SRI GANESH TRADERS NEHRA, MANIGACHI, DARBHANGA को दिया गया था जिसका दर ₹45312.00 प्रति सेट था। इस प्रकार पुनः न्यूनतम

170
दर वाले निविदादाता का चयन नहीं किया गया तथा ₹12320.00(45312-32992) प्रति सेट की दर से 17280.00(14X12320) का अधिक व्यय किया गया।

(3) दोनों सफल निविदादाताओं CIPL TECHNOLOGY LALBAG DARBHANGA तथा SRI GANESH TRADERS NEHRA, MANIGACHI, DARBHANGA से किये गये एकरारनामा दिनांक 26.3.11 तथा 04.09.11 के अनुसार क्रमशः तीन साल तथा एक साल का वारंटी का प्रावधान था। SRI GANESH TRADERS NEHRA, MANIGACHI, DARBHANGA ने यह भी एकरारनामा किया था कि लाईट में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसका मिस्त्री आकर मरम्मत करेगा। दिनांक 26.11.12 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व में लगाये गए सोलर लाईट में लगभग 75% खराब है जिसकी मरम्मती लोकल मिस्त्री से करायी जाये जिसके लिए ₹5000.00 का अग्रिम देने का प्रस्ताव भी दिया गया था। चूँकि, CIPL TECHNOLOGY LALBAG DARBHANGA का वारंटी 2014 तक वैध है जबकि SRI GANESH TRADERS NEHRA, MANIGACHI, DARBHANGA द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसके मिस्त्री द्वारा मरम्मती का एकरारनामा किया गया था। इससे स्पष्ट है कि अवमानक सामग्री का क्य किया गया था।

(4) एकरारनामा के अनुसार दोनों आपूर्तिकर्ताओं को सभी 20 सोलर लाईटों में एक्साईड का बैटरी लगाना था। बैटरी का वारंटी कार्ड लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

(5) आपूर्तिकर्ताओं से काटी गई वैट की राशि ₹38954.00 वाणिज्यकर विभाग को स्थानांतरित किये जाने से संबंधित प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा निविदा प्रक्रिया ठीक से नहीं करने के कारण ₹206560 का अधिक व्यय किया गया था।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि अग्रधन की राशि जमा नहीं करने के कारण उपर वर्णित न्यूनतम निविदा वाले व्यक्तियों को कार्य का आवंटन नहीं किया गया। जबाव मान्य नहीं है क्योंकि कोई शर्त नहीं थी। अतः, अधिक भुगतान की गई राशि ₹206560 को वसूली हेतु सुझाई जाती है।

10. दोहरा भुगतान

13वीं वित्त आयोग से संबंधित अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि श्री परितोष मल्लिक ट्रैक्टर चालक को मानदेय के रूप में 3000 रुपये प्रतिमाह के दर पर भुगतान किया गया था। दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों के मास्टर रोल के जाँच में पाया गया कि श्री परितोष मल्लिक, ट्रैक्टर चालक को दैनिक मजदूर के रूप में भी भुगतान किया गया था। विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	मास्टर रोल में परितोष मल्लिक की कार्यावधि	भुगतान		ट्रैक्टर चालक के रूप में परितोष मल्लिक के कार्यावधि	भुगतान	
		अभिश्रव सं०	राशि		अभिश्रव सं०	राशि
1	1.8.11 से 31.8.11	19	3213	अगस्त	—	3000
2	1.9.11 से 30.9.11	19	3094	सितम्बर	—	3000
3	1.10.11 से 31.10.11	—	3213	अक्टूबर	—	3000
4	1.11.11 से 30.11.11	—	3094	नवम्बर	—	3000
5	1.12.11 से 31.12.11	—	3213	दिसम्बर	—	3000
6	1.1.12 से 31.1.12	—	3375	जनवरी	—	3000
7	1.2.12 से 29.2.12	—	3125	फरवरी	—	3000
8	1.3.12 से 31.3.12	—	3375	मार्च	—	3000
9	1.4.12 से 30.3.12	—	3250	अप्रैल	—	3000
10	1.5.12 से 31.5.12	—	4075	मई	—	3000
11	1.6.12 से 30.6.12	—	4530	जून	—	3000
	कुल		37557	कुल		33000

इस प्रकार श्री परितोष मल्लिक, ट्रैक्टर ड्राइवर को फर्जी तरीके से मास्टर रोल में सफाई मजदूर के रूप में ₹0 37557 का भुगतान किया गया था। आपत्ति के आलोक में बताया गया कि मास्टर रोल में उल्लेखित परतोष मल्लिक एवं चालक परतोष मल्लिक दो भिन्न व्यक्ति हैं। फलतः भुगतान किया गया है। कोई दोहरी भुगतान नहीं की गई है। जबाब मान्य नहीं है क्योंकि दोनों में पिता का नाम समान है, जो एक ही व्यक्ति के होने की पुष्टि करता है। अतः राशि ₹0 33000 को जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय।

11. अनियमित भुगतान

रोकड़बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बी.आर.जी.एफ. मद से एम्बुलेन्स की खरीद 13.1.11 को ₹293088 में की गई थी। जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा एम्बुलेन्स का कोई लॉग बुक संघारण नहीं किया गया था। जिससे यह पता नहीं लगाया जा सका कि एम्बुलेन्स को कहाँ - कहाँ चलाया गया।

एम्बुलेन्स चलाने हेतु एक ड्राइवर श्री अशोक कुमार झा को 4000 रु० प्रति माह की दर से मानदेय के आधार पर रखा गया। ड्राइवर से एम्बुलेन्स के बारे में पूछने पर यह बताया गया कि एम्बुलेन्स दिसम्बर 2012 से खराब पड़ा है। रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि समिति कोष से ड्राइवर को अभी तक 12000 का भुगतान किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्रम सं०	अभिपत्र सं०	दिनांक	भुगतान राशि
1	85	9.1.13	4000
2	24	19.2.13	4000
3	29	21.3.13	4000
कुल-12000			

इस तरह दिसम्बर 2012 से संबंधित ड्राइवर पर किया गया खर्च निष्फल है। आपत्ति के आलोक में कहा गया कि एम्बुलेन्स की मरम्मत शीघ्र कराई जा रही है। जबाब असंतोषप्रद है। अतः खर्च की गयी राशि रु० 12000 भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली योग्य है।

12. बकाया दुकान किराया की राशि रु० 2.47 लाख

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये बकाया दुकान किराया विवरणी के अनुसार 31 मार्च, 2013 तक कुल रु० 246800 विभिन्न दुकानदारों पर बकाया था। (विस्तृत विवरण संलग्न)

क्रम सं०	मार्केट का नाम	31.03.13 तक कुल बकाया राशि (रु०)
1	नगर पं० कार्यालय प्रांगण समीप	10000
2	नगर पं० कार्यालय समीप भवन	4250
3	नगर पं० कार्यालय के नीचे भवन	20400
4	पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के सामने	69750
5	पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के सामने नवनिर्मित	38400
6	पूर्व प्रखण्ड कार्यालय के दक्षिण भवन	46400
7	आईटीआई के सामने भवन	58400
कुल-247600		

आपत्ति के आलोक में कहा गया कि बकाया राशि की वसूली के लिए शीघ्र कदम उठाया जायेगा। अतः उपरोक्त बकाया राशि की वसूली संबंधित व्यक्तियों से कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाए एवं जमा से संबंधित साक्ष्य/दस्तावेज अगले लेखापरीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाये।

13. निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ श्रम सेस की कटौती नहीं किया जाना:- 0.60 लाख

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या- बी०सी०डब्ल्यू०सी० 01/2008 द्वारा सभी विभागों को निर्गत सूचनानुसार वर्ष 2007-08 से कार्य विभागों द्वारा ली गई योजनाओं से कुल

लागत का 1% श्रम सेस के रूप में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा करना था।

पुनः श्रमायुक्त- सह- अध्यक्ष, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सभी नगर आयुक्त, नगर निगम एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों को प्रेषित पत्र सं०- सी० 01/2009, श्र०सं० 3714, पटना दिनांक 15.09.10 द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी निर्माण कार्य जिसका तात्पर्य भवन, सड़क, नाली, पुल, पुलिया निर्माण आदि एवं इसके अधीन रिहायशी भवन निर्माण जिसकी लागत 10 लाख से अधिक है का कुल संबन्धित लेखा वर्ष में किए गये निर्माण लागत का 1% श्रम सेस काटकर भुगतान किया जाना है। रिहायशी मकानों के नक्शा स्वीकृति के समय ही सेस की राशि वसूल की जानी थी। सेस वसूली नहीं करने की दशा में दण्ड स्वरूप 2% प्रतिमाह दण्ड का प्रावधान था।

नगर पंचायत के लेखाओं के नमूना जॉच के क्रम में ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा अवधि में निर्माण कार्यों पर किए गये अभिकर्ताओं के भुगतान में 1% सेस की कटौती नहीं की गयी थी।

निर्माण कार्यों हेतु संवेदकों को भुगतान की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है। (परिशिष्ट- III)

क्रम संख्या	अनुदान विशेष का नाम	2011-2012 एवं 2012-2013
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2095000
2	बी.आर.जी.एफं	159100
3	राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना तथा ग्यारहवीं और बारहवीं वित्त	1195655
4	समिति कोष	175770
5	नालों एवं पथों का निर्माण/जीर्णोद्धार	2535910
6	कुल	6161435
7	श्रम सेस की राशि/ 1%	61614
8	कटौती की गई राशि	0
9	अवशेष राशि	61614

इस प्रकार कुल व्यय का 1 प्रतिशत की दर से अवशेष श्रम सेस की राशि रू० 61614 नहीं काटी गई थी।

आपत्ति के आलोक में कहा गया कि जानकारी के अभाव में कटौती नहीं की गई। आगे से कटौती की जायेगी। जबाब संतोषजनक नहीं है, इसलिए राशि 61614 को वसूली हेतु सुझाई जाती है।

भाग-2

14. दैनिक मजदूरों का अनियमित भुगतान (रु० 9.81 लाख)

नगर विकास विभाग के पत्रांक 1986/25.06.01 एवं समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक मजदूरी की बहाली पर रोक है परन्तु इस नियम का उल्लंघन करते हुए नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 तक कुल रु० 981216 की राशि का भुगतान दैनिक मजदूरी पर किया गया था। (जिसका विवरण परिशि - IV में दिया गया है)

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि इस प्रणाली पर शीघ्र ही रोक लगा दी जायेगी। जबाब संतोषप्रद नहीं है, अतः राशि 981216 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

15. बजट नहीं बनाया जाना

बिहार नगर पालिका अधिनियम- 2007 की धारा- 82 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी अथवा तत्पश्चात यथाशीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश किया जायेगा जिसे धारा 84 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आवश्यक परिवर्तन के साथ राज्य सरकार को पेश किया जाएगा। राज्य सरकार 31 मार्च तक आर्थिक सहायता से संबद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के बजट प्राक्कलन को लौटा देगी। नगर पंचायत द्वारा बजट तैयार नहीं किया गया था।

बिहार नगर पालिका अधिनियम- 2007 की धारा- 75 के अनुसार कोई भी खर्च बजट में प्रस्तावित किए बिना नहीं किया जा सकता है। अतः नगर पंचायत द्वारा किया गया सारा खर्च अप्राधिकृत है। आपत्ति के आलोक में कहा गया कि कर्मियों के अभाव के कारण बजट तैयार नहीं किया जा सका, तथा आगे से इसका ध्यान रखा जायेगा।

16. सरकारी अनुदान

वर्ष 2011-12 और 2012-13 हेतु अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदान वर्ष में प्राप्ति एवं उपयोग तथा दिनांक 31.3.13 को अव्यवहृत अनुदान की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी। नगर पंचायत द्वारा संधारित रोकड़ बहियों के अनुसार अनुदान ₹6610279 प्राप्त हुआ था जिसकी विवरणी परिशिष्ट- V पर दर्शाया गया है। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

17. अव्यवहृत अनुदान राशि रु० 8.13 लाख

रोकड़ बहियों के जाँच के क्रम में पाया गया कि 6 योजनाओं की अनुदान की अवशेष राशि 8 वर्षों से लंबित पड़ी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	मद का नाम	31.03.13 का रोकड़बही का शेष
1	चापाकल	208985
2	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	147667
3	बारहवीं वित्त	219702
4	विधायक/ सांसद ऐच्छिक कोष	15033
5	योजना एवं गैर योजना	34180
6	ग्यारहवीं वित्त	187264
	कुल	812831

उक्त योजनाओं में शेष राशि वर्षों से लंबित पड़ी है, आपत्ति के आलोक में कहा गया कि इस संबंध में सरकार से निदेश प्राप्त कर उचित कदम उठाया जायेगा।

18. प्रशासनिक भवन की राशि का अवरुद्धिकरण

रोकड़बही के जॉच में पाया गया है कि प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए सरकार से रू. 3425316 नगर पंचायत को दिनांक 11.04.07 को प्राप्त हुआ था जिसे अभी तक अवरुद्ध रखा गया है, इस राशि को यथाशीघ्र व्यवहार में लाया जाय या स्वीकृति दाता को कुल राशि रू0 3425316 वापस कर दिया जाय।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि जमीन उपलब्ध हो गई है भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

19. होल्लिंग कर का निर्धारण नहीं

नगरपालिकाओं के आय का मुख्य स्रोत होल्लिंग कर है। बिहार नगरपालिका अधिनियम- 2007 की धारा- 127 में होल्लिंग कर निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत, घोघरडीहा के स्थापना वर्ष 1985 से ही करों का निर्धारण नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति किया गया था। इसके बाबजूद नगर पंचायत, घोघरडीहा द्वारा करों का निर्धारण नहीं किया गया। फलस्वरूप नगर पंचायत को वर्षों से राजस्व की प्राप्ति से वंचित रहा है। आपत्ति के आलोक में बताया गया कि होल्लिंग कर के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।

20. बन्दोबस्ती

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बंदोबस्ती संचिका वाहन शुल्क के नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त वर्ष की वाहन शुल्क बंदोबस्ती की श्री कपिलदेव प्रसाद यादव को ₹70250 में दी गई थी जिनके द्वारा कुल रू0 35500 जमा किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार था:-

क्रम सं०	विविध रसीद संख्या	दिनांक	राशि(रु०)
1	2878	19.7.12	4500
2	2879	20.7.12	31000
कुल-35500			

अतः कपिलदेव प्रसाद यादव द्वारा कुल 35500 जमा किया गया था शेष राशि का जमा (34750) संचिका में नहीं पाया गया। आपत्ति के आलोक में बताया गया कि राशि जमा करा दी गई है। इसका कोई भी प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त राशि की जमा से संबंधित साक्ष्य/दस्तावेज की सत्यापित प्रति महालेखाकार कार्यालय, बिहार को उपलब्ध कराया जाये एवं इसे अगले अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत करें।

(क) संचिका के नमूना जॉच में यह भी देखा गया कि वर्ष 2008-09 में पशुवध शाला का बंदोबस्ती 45 रुपये प्रतिदिन की दर से दिया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में पशुवध शाला का बंदोबस्ती नहीं किया गया था और न ही बंदोबस्ती हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई प्रयास किया गया। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में पशुवध शाला का बंदोबस्ती नहीं किये जाने से नगर पंचायत को रू० 32850 की हानि हुई। आपत्ति के आलोक में कहा गया कि पशुवध शाला हमारे क्षेत्र में नहीं है। यदि यह पशु वधशाला नगर पंचायत के अन्तर्गत नहीं है तो वर्ष 2008-09 में इसकी बंदोबस्ती किस आधार पर की गई। इस प्रकरण की जॉच नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा किया जाये एवं इसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

21. बंदोबस्ती की राशि पर 3% की दर से देय मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं (0.02 लाख)

मुख्य सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक 1290/नि० मु० सं० दिनांक 14.08.02 एवं सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार बस पड़ाव, हाट बाजार, घाट, जलकर, मेला स्थल, बालू घाट, दुकान, होल्डिंग, मार्केटिंग सेट्टसे इत्यादि की बंदोबस्ती यदि एक वर्ष या इससे कम की अवधि के लिए की जाती है तो बंदोबस्ती करने से पूर्व बंदोबस्ती की राशि पर 3% की दर से देय मुद्रांक शुल्क के रूप में बंदोबस्ती करने वालों से लेकर उसी पर बंदोबस्ती की शर्तें लिखकर निर्गत की जानी चाहिए। यदि बंदोबस्ती की राशि एक वर्ष से अधिक हो तो उसका निबंधन कार्यालय में निबंधन कराना आवश्यक एवं अनिवार्य है। वैसी स्थिति में निबंधन पदाधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक मुद्रांक शुल्क एवं अन्य निबंधन शुल्क की जानकारी प्राप्त कर बंदोबस्ती दस्तावेजों का निबंधन कराया जाना है।

संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती की गयी:-

क्र०सं०	बंदोबस्ती का नाम	बंदोबस्तधारी का नाम श्री	बंदोबस्ती राशि(रु०)	की	3% शुल्क	मुद्रांक
1	वाहन सेवा शुल्क	कपिलदेव प्रसाद यादव	70250		2107	
			कुल-		2107	

इस प्रकार 3% मुद्रांक शुल्क की वसूली बंदोबस्तधारियों से नहीं किए जाने के फलस्वरूप कुल रु० 2107 सरकारी राजस्व की हानि हुई। आपत्ति के आलोक में कहा गया कि जानकारी के अभाव में मुद्रांक शुल्क की कटौती नहीं की गयी है आगे से कटौती का ध्यान रखा जायेगा। जबाब मान्य नहीं है। अतः राशि रु० 2107 वसूली हेतु सुझाई जाती है।

22. अग्रिम (रु० 8.22 लाख)

लेखापाल की रोकड़बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि कार्यालय कर्मियों को अग्रिम दिया गया था, लेकिन अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। लेखापाल की रोकड़बही के अनुसार कुल अग्रिम 821770 था। (विवरणी संलग्न) VI

आपत्ति के आलोक में बताया गया है कि अग्रिम का समायोजन, अभिश्रव एवं वेतन भुगतान से कर ली गई है। भविष्य में अग्रिम पंजी का संधारण कर अग्रिम का भुगतान किया जायेगा। अग्रिम का समायोजन अभिश्रव लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया था। अतः इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

23. विविध रसीद से वसूल राशि (रु० 3.49 लाख) नगर पंचायत निधि में जमा नहीं

विविध रसीदों को लेखापाल के रोकड़बही से मिलान के क्रम में पाया गया कि विविध रसीदों के द्वारा वसूल की गई राशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्न है:-

क्रम सं०	रसीद सं०	रसीद प्राप्तकर्ता का नाम श्री	दिनांक	वसूल राशि	जमा	नहीं जमा
1	2494-2500	महेशकान्त झा	1.10.12 से 12.11.12	13000	NIL	13000
2	2682-2700	महेशकान्त झा	6.10.12 से 10.12.12	17500	NIL	17500
3	3053-3055	महेशकान्त झा	10.12.12 से 11.12.12	1520	NIL	1520
4	3301-3347	महेशकान्त झा	7.5.13 से 13.6.13	143630	NIL	143630
5	2901-2991	महेशकान्त झा	16.4.12 से 22.9.12	14701	NIL	14701

6	3101-3200	महेशकान्त झा	12.12.12 से 7.5.13	156909	NIL	156909
7	3201-3249	मनोज कुमार	20.3.13 से 13.6.13	175025	174135	890
8	3071	मनोज कुमार		600	NIL	600
9	3095-3100	मनोज कुमार	6.3.13 से 13.3.13	420	NIL	420
						कुल-349170

राशि 600 रु0 रसीद संख्या 3071 के आलोक में दिनांक 21.1.13 को जमा किया गया था। परन्तु इसके समर्थन में प्रस्तुत कुंजी दस्तावेज जमा की पुष्टि के लिए सार्थक नहीं है। नगर पंचायत, घोघरडीहा के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन प्रतिवेदन (पत्रांक 306) में कंडिका के क.सं. 7 की राशि 890 एवं क.सं. 9 की राशि 420 के जमा किए जाने की बात कही गई है, तथा जमा के समर्थन में सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है। अतः जमा की राशि (600 + 890 + 420) = 1910 के जमा से संबंधित दस्तावेज जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाए तथा शेष राशि (349170 - 1910) = 347260 वसूली हेतु सुझाई जाती है।

24. संचार (मोबाइल) टावरों पर रु0 4.97 लाख शुल्क बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाइल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण वर्ष रु0 30,000/ प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क रु0 8,000/ प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत कुल 6 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे। उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाइल टावरों पर कुल मांग; (पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क) 497200 रु0 बकाया था। (विवरणी संलग्न) आपत्ति के आलोक में बताया गया कि पूर्व में नोटिस निर्गत किया गया था वसूली शून्य है। इस संबंध में पुनः नोटिस निर्गत किया जायेगा। अतः बकाया राशि 497200 वसूली हेतु सुझाई जाती है।

(परिशिष्ट- VII पर विस्तृत विवरण)